मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2013-कार्तिक 3, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स उमंग डेव्हल्पर्स, स्थाई पता 14/7, नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर है, जिसकी फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. 03/27/03/00040/2 है, जिसमें से दो भागीदार निवृतमान हो रहे हैं.

1. गोपाल पिता नवनीतलाल नीमा एवं
2. केशव कुमार पिता भगवान दास नाचानी तथा 6 नये भागीदार फर्म के अन्दर हो रहे हैं—
    1. रवि पिता ओमप्रकाश सोमानी,
    2. दिनेश पिता ओमप्रकाश सोमानी,
    3. पवन पिता श्रीचंद वच्छानी,
    4. ओमप्रकाश पिता स्व. खुशीराम सोमानी,
    5. अमित पिता राजेन्द्र पारीख,
    6. बलदेव पिता रुपचंद राजानी.

कृपया विदित रहे.

उमंग डेव्हल्पर्स,
रवि सोमानी,
(पार्टनर)
14/7, नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.).

(386-बी.)

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स उमंग डेव्हल्पर्स, स्थाई पता 14/7, नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर एक भागीदारी फर्म, जिसका फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. 03/27/03/00040/2 है, जिसमें से निम्नलिखित भागीदार निवृतमान हो रहे हैं.

1. द्वारकादास पिता वल्लभदास महाजन,
2. दिनेश पिता बसंतीलाल नीमा,
3. श्रीमती संगीता पति मुकेश जैन,
4. श्रीमती राजुल पति सुनिल जैन तथा शेष भागीदार यथावत रहेंगे.

उमंग डेव्हल्पर्स,
पवन वच्छानी,
(पार्टनर)
स्थाई पता—14/7, नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.).

(386-A-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मंगलम् एसोसियेट्स, अशोकनगर में दिनांक 01-04-2012 को साझेदार श्री नत्थूलाल शिवहरे पुत्र श्री सीताराम शिवहरे अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स मंगलम् एसोसियेट्स,

योगेन्द्र कुमार सिंह,

(387-बी.) 3, महावीर कॉलोनी, अशोकनगर (म.प्र.).

NOTICE

NOTIFICATION U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is published for general information that SHRI UTTAMPAL SINGH S/O SHRI RAJNARAYAN SINGH, R/o H. No. 16, SECTOR No. 1, LAVKUSH NAGAR KHANDWA (M.P.) has retired on 01-10-2013 from the firm M/s PAL ASSOCIATES, PURNI HOUSE, PADAWA, KHANDWA (M.P.) and SHRI PANKAJ RAJ SINGH S/o SHRI HARIRAJ SINGH, R/o POST PURNI, VILLAGE BIJORAMAFI DIST. KHANDWA (M.P.) of have joined as a new partners on 01-10-2013 in the firm M/s PAL ASSOCIATES, PURNI HOUSE, PADAWA, KHANDWA (M.P.) DIST. KHANDWA (M.P.).

For M/s PAL ASSOCIATES,

Mahipal Singh,

(389-B.) (Partner).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स भवानी प्रसाद शर्मा, कॉन्ट्रेक्टर, मुदगल पायगा, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर में फर्म की रचना में निम्नांकित संशोधन किये जा रहे हैं दिनांक 01 अप्रैल, 1993 से फर्म में किशनकुमार मुदगल, सम्मिलित हो गये हैं तथा श्रीमती जागेश मुदगल, इसी दिनांक से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 10 जून, 2002 को फर्म में साझेदार के रूप में—(1) नवनीत शर्मा, (2) श्रीमती भागीरथी मिश्रा, (3) राजीव गुप्ता, (4) मुकेश गुप्ता, (5)राम प्रकाश चौधरी, (6) योगेश शुक्ला, (7) विमल उपाध्याय, (8) राहुल अग्रवाल में सम्मिलित हो गये हैं तथा इसी दिनांक को —(1) सुरेश कुमार, (2) उर्मिल्स शर्मा एवं (3) श्रीमती सरला पचौरी पृथक् हो गई हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

सुरेश मुदगल,

फर्म—भवानी प्रसाद शर्मा कॉन्ट्रेक्टर,

मुदगल पायगा, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर,

(392-बी.) द्वारा—रोहित चौधरी (एडवोकेट) जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 07-9-1999 से मेसर्स तुलसीराम चौकसे, श्याम टाकीज के पास वार्ड नं. 7, मकान नं.83, जुन्नारदेव रोड, परासिया, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश पर कार्यालय खोला गया है पर अब इस कार्यालय का नवीन पता श्याम टाकीज के पास वार्ड नं. 20, मकान नं. 388, जुन्नारदेव रोड, परासिया, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश हो गया है. जिसमें भागीदार नीतू चौकसे, भागीदारी फर्म से दिनांक 19 नवम्बर, 2010 से अलग हो गई हैं. इस सूचना से यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो कृपया फर्म के कार्यालय पर सम्बंधित दस्तावेज के साथ 15 कार्य दिवस के भीतर सम्पर्क करें.

M/s Tulsiram Chouksey,

Partner/Power of Attorny holder.

श्याम टाकीज के पास वार्ड क्रमांक 20, मकान नं.388,

(394-बी.) जुन्नारदेव रोड, परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम त्रुटिवश आनंद कुमार तमोली तथा आनंद तम्बोली लिखा है. अत: भविष्य में मेरा परिवर्तित नाम आनंद कुमार तम्बोली पिता श्री किशन लाल तम्बोली ही पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(आनंद तम्बोली)

नया नाम :

(आनंद कुमार तम्बोली)

पता—म. नं. 07, श्री सांई शिवम कॉलोनी,
नियर जे सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र.).

(385-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अर्पण रॉवका (ARPAN RAWKA) था. जिसमें मैंने अपना उपनाम बदलकर अर्पण कुमार जैन (ARPAN KUMAR JAIN) कर लिया है. अत: अब मुझे मेरे नये नाम अर्पण कुमार जैन (ARPAN KUMAR JAIN) से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(अर्पण रॉवका)

(ARPAN RAWKA)

नया नाम :

(अर्पण कुमार जैन)

(ARPAN KUMAR JAIN)

188, वैंकटेश नगर, एरोड्रम रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(390-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम नीरज अग्रवाल (NIRAJ AGARWAL) था. जिसमें अब हमने बदलाव कर नीरज अग्रवाल (NEERAJ AGARWAL) कर लिया है. अत: अब मुझे मेरे नये नाम नीरज अग्रवाल (NEERAJ AGARWAL) से ही लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(नीरज अग्रवाल)

(NIRAJ AGARWAL)

नया नाम :

(नीरज अग्रवाल)

(NEERAJ AGARWAL)

201, बृजधाम अपार्टमैंट, 196, साकेत नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(391-बी.)

CHANGE OF NAME

I, am Ravi Shankar Tiwari here declared that my son name Pushpendra Tiwari was studying in St. Micheal School Satna (M.P.) from Middle School to Class 10th The name of pushpendra Tiwari has been wrongly mentioned as Puspendra Tiwari and my name is Ravi Sanker Tiwari in Class 10th Marksheet.

Through an affidavit, I requested to correct the name of me and son as Pushpendra Tiwari and Ravi Shankar Tiwari. Rajendra Nagar Gali No. 3, Prabhat Vihar Satna.

Old Name :

(RAVI SANKER TIWARI)

New Name :

(RAVI SHANKAR TIWARI)
Rajendra Nagar Gali, No. 3,
Prabhat Vihar Satna (M.P.).

(393-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सुषमा जैन था जो बदलकर अब चित्रा जैन हो गया है. भविष्य में मुझे चित्रा जैन पत्नि श्री अतुल कुमार जैन के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. अब मेरा यही नाम अधिकृत एवं सरकारी दस्तावेज में मान्य होगा.

पुराना नाम :

(सुषमा जैन)

नया नाम :

(चित्रा जैन)

पत्नि श्री अतुल कुमार जैन,
7, पारिका फेस-1, वाल्मी रोड,
चूना-भट्टी, कोलार रोड, भोपाल
(म. प्र.)-462016.

(395-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कुछ शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रवि रजक अंकित है जबकि शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम रवि चौहान अंकित है, ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अत: अब से मुझे श्री रवि चौहान के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रवि रजक)

नया नाम :

(रवि चौहान)

निवासी—आपागंज, पानी की टंकी के पास,
लश्कर, ग्वालियर.

(388-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पेटलावद, जिला झाबुआ

पेटलावद, दिनांक 19 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) एवं 5 (1) के अंतर्गत]

क्र./3083/री-1/2013.—इस न्यायालय में श्री सरदार पटेल, जिला पाटीदार समाज न्यास, पेटलावद, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के प्रधान ट्रस्टी (अध्यक्ष) पुरूषोत्तम पिता गोपालजी पाटीदार, निवासी बावड़ी, तहसील पेटलावद द्वारा "सरदार पटेल, जिला पाटीदार समाज न्यास ट्रस्ट" पेटलावद के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया. ट्रस्ट के नाम से वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा, झण्डा बाजार, पेटलावद में बचत खाता क्रमांक 5303555889 में करीब रुपये 3,373/- जमा हैं तथा न्यास के नाम से तहसील पेटलावद ग्राम कोदली प.ह.नं. 03, खाता नंबर 192 कुल सर्वे नम्बर 05 कुल रकबा 3.590 हेक्टेयर लगान 11.15 पैसे कृषि भूमि स्थित है.

सरदार पटेल, जिला पाटीदार समाज न्यास ट्रस्ट, पेटलावद का पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्य या किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति बाबत् किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखता हो तो कोई भी अपनी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में लिखित रूप से उद्घोषणा प्रकाशन के एक माह के भीतर दिनांक 13 सितम्बर, 2013 को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या मुख्त्यार के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है, मियाद बाद प्राप्त आपत्ति पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 13 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

विष्णु कमलकर,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(565)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, आष्टा, जिला सीहोर

आष्टा, दिनांक 25 सितम्बर, 2013

प्र. क्र. 2/बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

[देखिये नियम 5 (1)]

न्यास का नाम—श्री सीमंधर जिनदत्त धाम चेरीटेबल ट्रस्ट (दादावाडी कन्नोद रोड) आष्टा, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के सम्बन्ध में.

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अध्यक्ष श्री सीमंधर जिनदत्त धाम चेरीटेबल ट्रस्ट (दादावाडी कन्नोद रोड) आष्टा, जिला सीहोर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, रवि कुमार सिंह, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, आष्टा, जिला सीहोर मध्यप्रदेश अपने न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ कि—

1. उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उनके बारे में आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो उन्हें इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में लिखित रूप में दो प्रतियों में अपनी आपत्ति अथवा सुझाव मेरे समक्ष व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि 30 दिवस समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा. इस प्रकरण में प्रस्तुत होने वाली आपत्तियों पर सुनवाई के लिये दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 नियत की जाती है. नियत दिनांक इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्तियों एवं सुझाव के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करें.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम .. श्री सीमंधर जिनदत्त धाम चेरीटेबल ट्रस्ट (दादावाडी कन्नोद रोड) आष्टा, जिला सीहोर (म. प्र.).
2. अचल सम्पत्ति .. कुछ नहीं.
3. चल सम्पत्ति .. कुछ नहीं.

आज दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया.

रवि कुमार सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(566)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, सुसनेर, नलखेड़ा, जिला आगर मालवा

प्रारूप क्रमांक-3

[नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (251 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, ग्राम लालूखेडी, श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा.

क्योंकि मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 01 में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 उपधारा 4 के अभिप्राय के लिये लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास का पंजीयन, सुसनेर, जिला आगर मालवा अनुसूचित 01 में अंकित लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा-5 उपधारा 01 के द्वारा यथाअपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाला और इस संपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाला व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित आपत्ति प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उक्त दिनांक को या वह व्यक्ति या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करना चाहिये. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम : श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तारक तीर्थधाम श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक, धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, ग्राम लालूखेडी, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा (मध्यप्रदेश).
2. लोक न्यास के अध्यक्ष एवं : श्री ज्ञानचंद जी पिता भागमल जी तातेड, निवासी नीमा कॉलोनी, नलखेड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष.
3. सदस्यों की जानकारी.
   1. इंदरमल पिता चौथमल जी फाफरिया, निवासी जवाहर मार्ग, नलखेड़ा.
   2. ज्ञानचंद पिता भागमल जी तांतेड, निवासी नीमा कॉलोनी, नलखेड़ा.
   3. देवेन्द्र कुमार पिता टीकमचंद जी कटारिया, निवासी डाकबंगला सुसनेर.
   4. प्रशांत कुमार पिता प्रकाशचंद्र जी सकलेचा, निवासी खण्डेलवाल कॉलोनी, नलखेड़ा.
   5. जितेन्द्र कुमार पिता प्रेमचंद जी सकलेचा, निवासी पुलिस थाना के पास, नलखेड़ा.
   6. मनोज कुमार पिता शांतिलाल जी फाफरिया, निवासी जवाहर मार्ग, नलखेड़ा.
   7. हिम्मतमल जी पिता मथुरालाल जी फाफरिया, निवासी जवाहर मार्ग, नलखेड़ा.
   8. श्री लोकेन्द्र कुमार पिता चौथमल जी नारोलिया, निवासी जैन मंदिर के पास, शाजापुर.

9. अभय कुमार पिता पुनमचंद जी जैन, निवासी अरविंद नगर, उज्जैन.

10. आशिष कुमार पिता धरमचंद जी सुराणा, निवासी हनुमान मण्डी, नलखेड़ा.

11. श्री अखिलेश कुमार पिता राजेन्द्र कुमार जी सकलेचा, निवासी जवाहर मार्ग, नलखेड़ा.

12. सचिन कुमार पिता त्रिलोकचंद जी बावेल, निवासी हनुमान मण्डी, नलखेड़ा.

4. ट्रस्ट की सम्पत्ति : भारतीय स्टेट बैंक शाखा, नलखेड़ा एवं नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा, नलखेड़ा में बचत खाता एवं एफ. डी. की राशि 1,64,020,/- रुपये एवं नगद राशि 12,425/- नकद केश रजिस्टर में दर्ज है. इसके अलावा चल सम्पत्ति में मंदिर पूजा के उपकरण, स्टील के बर्तन आदि मौजूद हैं.

पंजीयक, सार्वजनिक एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सुसनेर, उपखण्ड सुसनेर नलखेड़ा, जिला आगर मालवा.

सोहन कनास,

(567) अनुविभागीय दण्डाधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बैरागढ़ वृत, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013

क्र. 1/बी-113/बैरा.वृत/13.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा- 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष—रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

जैसा कि श्री रघुवीरसिंह दॉगी, अध्यक्ष ''दॉगी सेवा संस्थान ट्रस्ट (न्यास), निवासी—म. नं. 65, इण्डस उमंग, डी-सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल संस्था का पंजीकृत कार्यालय पता—सी-1 एलेक्जर गार्डन, जेल रोड, ग्राम पलासी, भोपाल, जिला भोपाल, द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 04 नवम्बर, 2013 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता .. कार्यालय पता—सी-1, एलेक्जर गार्डन, जेल रोड, ग्राम पलासी भोपाल, जिला भोपाल

अचल सम्पत्ति .. संस्था की प्रारंभिक चल सम्पत्ति रुपये 11,000.00 रुपये.

अविनाश कुमार तिवारी,

(575) अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आगर-बडौद, जिला आगर-मालवा

आगर, दिनांक 01 सितम्बर, 2012

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

क्र./री-एक/13.—सर्व-साधारण ग्राम आमला, तहसील आगर को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मणीशंकर चौधरी पिता धनसिंह चौधरी, निवासी ग्राम मण्डोदा, अध्यक्ष एवं अन्य ट्रस्टीगण द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, आगर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करती है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा. "श्री गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट, आमला" तहसील आगर मालवा, जिला आगर-मालवा (मध्यप्रदेश) के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत किया गया.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	..	"श्री गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट, आमला", ग्राम-आमला आगर.
2. चल सम्पत्ति	..	राशि रुपये 1,00,000.00 (भारतीय स्टेट बैंक, आगर में खाता की कार्यवाही प्रचलित है.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक

जी. एस. डावर,

(568) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़नगर, जिला उज्जैन

प्र. क्र.1/बी-113/2012-13. प्रो. र. न. 948/26-8-13

फॉर्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1962 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूँकि श्री सुखरामधाम न्यास नरसिंगा द्वारा अध्यक्ष, मनोहरसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी नरसिंगा द्वारा अध्यक्ष, मनोहरसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी नरसिंगा के द्वारा के द्वारा ट्रस्ट को पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय नियमावली के प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति दावा पेश करना चाहते हैं तो वह इस नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अन्दर न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं निश्चित अवधि के पश्चात् / उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	..	श्री सुखरामधाम न्यास नरसिंगा
ट्रस्ट का पता	..	ग्राम नरसिंगा, तहसील बड़नगर
चल सम्पत्ति	..	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक नरसिंगा, तहसील बड़नगर में बचत खाता क्रमांक 040210110000421, में जमा नगद राशि 11,000/- (ग्यारह हजार रुपया)
अचल सम्पत्ति	..	ग्राम नरसिंगा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1157, रकबा 0.37 हैक्टर.

आज दिनांक 20 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

सरोधनसिंह,

(569) अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, बड़वाह

दिनांक 1 जुलाई, 2013 से चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची

क्रमांक	परिक्षेत्र	वृक्षारोपण क्षेत्रों का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष	रकबा
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
1.	बडवाह	आर. डी. एफ., खेड़ीटाण्डा	261	2007-08	10.000
	बडवाह	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	248	2007-08	86.500
	बडवाह	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	261	2007-08	20.000
	बडवाह	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	266	2008-09	25.000
	बडवाह	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	247	2009-10	20.000
	बडवाह	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	261	2008-09	81.365
	बडवाह	चारागाह विकास योजना	247	2008-09	50.000
	बडवाह	चारागाह विकास योजना	267	2008-09	50.000
	बडवाह	चारागाह विकास योजना	244	2008-09	50.000
	बडवाह	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	273	2008-09	50.000
	बडवाह	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	267	2008-09	50.000
	बडवाह	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	274	2008-09	50.000
	बडवाह	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	262	2008-09	50.000
	बडवाह	मिश्रित वृक्षारोपण	266	2008-09	18.000
	बडवाह	उर्जा वन	247-I	2010-11	10.000
	बडवाह	उर्जा वन	247-II	2010-11	10.000
	बडवाह	उर्जा वन	264	2010-11	10.000
	बडवाह	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	147	2010-11	20.000
	बडवाह	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	264	2010-11	20.000
2.	बलवाडा	आर. डी. एफ., मोहन्या	786	2006-07	40.000
	बलवाडा	आर. डी. एफ., मोहन्या	790	2006-07	40.000
	बलवाडा	आर. डी. एफ., दौलतपुरा	793	2006-07	30.000
	बलवाडा	आर. डी. एफ., करोंदिया	827	2006-07	40.000
	बलवाडा	आर. डी. एफ., रमाणा	820	2006-07	30.000
	बलवाडा	आर. डी. एफ., रमठान	794	2006-07	40.000
	बलवाडा	आर. डी. एफ., रूपाला	798	2006-07	40.000
	बलवाडा	आर. डी. एफ., रूपाला	92	2007-08	10.000
	बलवाडा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	85	2007-08	120.230
	बलवाडा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	84	2007-08	111.600
	बलवाडा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	95	2007-08	120.825
	बलवाडा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	103	2008-09	0.000
	बलवाडा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	127	2009-10	20.000
	बलवाडा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	132	2009-10	20.000
	बलवाडा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	89	2008-09	65.250

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
	बलवाडा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	90	2008-09	119.470
	बलवाडा	चारागाह विकास योजना	84	2008-09	40.000
	बलवाडा	चारागाह विकास योजना	93	2008-09	40.000
	बलवाडा	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	126	2008-09	50.000
	बलवाडा	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	114	2008-09	50.000
	बलवाडा	उर्जा वन	109-I	2010-11	10.000
	बलवाडा	उर्जा वन	109-II	2010-11	10.000
	बलवाडा	उर्जा वन	109-III	2010-11	10.000
	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	127	2010-11	20.000
	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	132	2010-11	20.000
	बलवाडा	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	108	2012	40.000
	बलवाडा	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	97	2010-11	20.000
	बलवाडा	एफ.डी.ए. योजनान्तर्गत	130	2010-11	50.000
3.	काटकूट	आर. डी. एफ., घांघला	971	2006-07	40.000
	काटकूट	आर. डी. एफ., चैनपुरा	147	2007-08	10.000
	काटकूट	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	186	2007-08	19.125
	काटकूट	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	147	2007-08	114.610
	काटकूट	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	184	2008-09	25.000
	काटकूट	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	176	2009-10	25.000
	काटकूट	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	147	2012	50.000
	काटकूट	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	147	2008-09	117.436
	काटकूट	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	89	2008-09	65.250
	काटकूट	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	202	2008-09	50.000
	काटकूट	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	149	2008-09	50.000
	काटकूट	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	176	2012	50.000
	काटकूट	R.K.V.Y.	175	2010-11	10.000
	काटकूट	उर्जा वन	147-I	2010-11	10.000
	काटकूट	उर्जा वन	147-II	2010-11	10.000
	काटकूट	बांस वृक्षारोपण	185	2010-11	50.000
	काटकूट	मिश्रित वृक्षारोपण	149, 150	2010-11	30.000
	काटकूट	ओंकारेश्वर निधि से वृक्षारोपण	176	2010-11	25.000
	काटकूट	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	185	2010-11	100.000
4.	पाडल्या	आर. डी. एफ., हाथीडगर	774	2006-07	40.000
	पाडल्या	आर. डी. एफ., जिरात	769	2006-07	40.000
	पाडल्या	आर. डी. एफ., जामन्या	770	2006-07	40.000
	पाडल्या	आर. डी. एफ., बागदरा	59	2007-08	10.000

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
	पाडल्या	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	71	2007-08	89.320
	पाडल्या	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	59	2007-08	112.500
	पाडल्या	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	59	2008-09	25.000
	पाडल्या	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	59	2008-09	138.600
	पाडल्या	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	70	2008-09	134.100
	पाडल्या	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	81	2008-09	50.000
	पाडल्या	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	82	2008-09	50.000
	पाडल्या	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	68	2012	50.000
	पाडल्या	R.K.V.Y.	72	2010-11	10.000
	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-I	2010-11	10.000
	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-II	2010-11	10.000
	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-III	2010-11	10.000
	पाडल्या	उर्जा वन	P-334-IV	2010-11	10.000
	पाडल्या	एमएनआरईजीएस योजनांतर्गत वृक्षारोपण	65	2010-11	20.000
5.	मण्डलेश्वर	आर. डी. एफ., टांग्याप्लाट	709	2006-07	30.000
	मण्डलेश्वर	आर. डी. एफ., सालीपुरा	746	2006-07	30.000
	मण्डलेश्वर	आर. डी. एफ., सिरस्या	747	2006-07	30.000
	मण्डलेश्वर	आर. डी. एफ., गुजरमोहना	40	2007-08	10.000
	मण्डलेश्वर	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	47	2007-08	184.974
	मण्डलेश्वर	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	40	2007-08	82.120
	मण्डलेश्वर	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	42	2007-08	156.700
	मण्डलेश्वर	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	37	2008-09	15.000
	मण्डलेश्वर	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	43	2008-09	166.270
	मण्डलेश्वर	बिगड़ वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	42	2008-09	110.370
	मण्डलेश्वर	चारागाह विकास योजना	752	2008-09	25.000
	मण्डलेश्वर	चारागाह विकास योजना	708	2008-09	25.000
	मण्डलेश्वर	चारागाह विकास योजना	708	2008-09	25.000
	मण्डलेश्वर	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	36	2008-09	50.000
	मण्डलेश्वर	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	40	2008-09	50.000
	मण्डलेश्वर	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	36	2012	50.000
	मण्डलेश्वर	मिश्रित वृक्षारोपण	36	2008-09	18.000
	मण्डलेश्वर	R.K.V.Y.	36	2010-11	10.000
6.	काकडदा	आर. डी. एफ., काछीकुआ	711	2006-07	30.000
	काकडदा	आर. डी. एफ., गोठानिया	715	2006-07	30.000
	काकडदा	आर. डी. एफ., गढ़ी	716	2006-07	30.000
	काकडदा	आर. डी. एफ., छोटा भेडल्या	721	2006-07	30.000
	काकडदा	आर. डी. एफ., बाकानेर	724	2006-07	30.000

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
	काकडदा	आर. डी. एफ., हिण्डोलाग्वाडी	732	2006-07	30.000
	काकडदा	आर. डी. एफ., हेलाबाबर	730	2006-07	30.000
	काकडदा	आर. डी. एफ., नयापुरा	738	2006-07	30.000
	काकडदा	आर. डी. एफ., टेकवा	740	2006-07	30.000
	काकडदा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	6	2007-08	101.100
	काकडदा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	7	2007-08	94.950
	काकडदा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	10	2007-08	112.640
	काकडदा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	26	2007-08	65.700
	काकडदा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	28	2007-08	171.140
	काकडदा	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	3	2012	60.000
	काकडदा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	20	2008-09	120.800
	काकडदा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	10	2008-09	25.150
	काकडदा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	6	2008-09	111.150
	काकडदा	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	32	2008-09	111.630
	काकडदा	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	13	2008-09	50.000
	काकडदा	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	19	2008-09	50.000
	काकडदा	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	9	2008-09	50.000
	काकडदा	R.K.V.Y.	13	2010-11	10.000
	काकडदा	एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	2	2010-11	50.000
	काकडदा	एफ.डी.ए. योजनांतर्गत	16	2012	50.000
	काकडदा	एमएनआरईजीएस येाजनांतर्गत वृक्षारोपण	14	2010-11	20.000
7.	सनावद	आर. डी. एफ., नलवा	554	2006-07	30.000
	सनावद	आर. डी. एफ., बिराली	597	2006-07	30.000
	सनावद	आर. डी. एफ., दाभड़	611	2006-07	30.000
	सनावद	आर. डी. एफ., दाभड़	644	2006-07	30.000
	सनावद	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	286	2007-08	136.310
	सनावद	ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	315	2007-08	85.320
	सनावद	बिगड़े वनों का सुधार रोजगार ग्यारंटी योजना	315	2008-09	92.890
	सनावद	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	315	2008-09	50.000
	सनावद	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	325	2012	50.000
	सनावद	R.K.V.Y.	288	2010-11	10.000

कावेरी क्षतिपूर्ति वनीकरण वनमण्डल खण्डवा द्वारा किये गये वृक्षारोपण

क्र.	परिक्षेत्र	वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष	रकबा
1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
1.	काकडदा	एन.जी. 3 जी. कक्ष क्रमांक 710	–	2007	108.00

वन ग्रामों में बाहर के पशुओं की चराई के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र का विवरण

परिक्षेत्र का नाम	वन ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा
1	2	3	4
			(हेक्टर में)
बडवाह	कुण्डी	989	298.048
बडवाह	कोठावां	990	99.957
बडवाह	मोयदा (वीरान)	991	304.558
बलवाडा	नयापुरा	983	202.088
बलवाडा	बामनपुरी	984	30.214
बलवाडा	मधुपुरा (वीरान)	985	169.451
बलवाडा	कालापाठा	988	175.233
काटकूट	चेनपुरा	986	162.033
काटकूट	गवलनपाटी	987	41.349
		योग . .	**1487.931**

केम्पा मद से वैकल्पिक वृक्षारोपण

परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	कक्ष क्रमांक पुराना/नया	रकबा
1	2	3	4
			(हेक्टर में)
मण्डलेश्वर	केम्पा मद से वैक. वृक्षा.	45	29.010
काटकूट	अतरसुम्बा वैक. वृक्षा.	971, 972/186, 185	211.358
बलवाड़ा	पीपरीखेड़ा वैक. वृक्षा.	810, 811/104, 105	48.512
सनावद	मोखनगांव/अतरसुबा/पीपरीखेड़ा/अम्बा/ गोराडिया नहर किनारे वृक्षारोपण	598, 599, 600 अ, 600 स, 602 603 अ, ख. नं. 147, 150, 232, 238, 328 खं. नं. 47, 79. 84, 185, 201/1	19.574 कि. मी.
सनावद	सागडियाव नहर किनारे वृक्षारोपण	550	0.700 कि. मी.

1	2	3	4
			(हेक्टर में)
बड़वाह	220 के. व्ही. मल्टी सर्किट विद्युत लाईन के नीचे औषधीय पौधा रोपण	—	3.56 हे.
बड़वाह	220 के. व्ही. सनावद टेप पाईंट विद्युत लाईन के नीचे औषधीय पौधा रोपण	—	3.02 हे.
बड़वाह	बड़वाह-सिद्धवरकूट बायपास मार्ग के दोनों ओर किनारे पर वृक्षारोपण.	893/982	1.400 कि. मी.

प्रतिबंधित 1-7-2013 से चराई से प्रतिबंधित घांस बीड की सूची

परिक्षेत्र का नाम	घांस बीड का नाम	क्षेत्रफल
1	2	3
		(हेक्टर में)
मण्डलेश्वर	1. खुशालसिंग वाली	22.662
	2. तोपखान वाली	36.826
	3. गोस्यावाली	8.095
	4. लग्गीवाली	7.294
	5. बहेडावाली	8.712
	6. कामद वाली	3.237
	7. हिरया वाली	8.903
	8. काजी वाली	5.899
	9. भगवानसिंग वाली	11.735
	10. नवाब वाली	32.374
	11. म. वाली	7.284
	12. सांगया वाली	12.759
	13. भट्याण वाली	3.643
	14. खालबेडी वाली	15.378
	15. भूरा पाण्डु वाली	3.643
	16. गवालबेडी वाली	15.378
	17. भूरा पाण्डु वाली	16.996
	18. कुण्डाल वाली	6.070
	19. रूखया वाली	2.428
	20. अज्जू वाली	4.047
	21. कग्गा वाली	9.712
	22. रमजू वाली	0.809
पाडल्या	23. बसनगांव वाली	4.047
	24. भादलीपुरा	205.000

1	2	3
		(हेक्टर में)
पाडल्या	25. करोंदिया	441.107
काटकूट	26. लेण्डारी	432.672
	27. ओखला	100.000
	28. मंगलसिंग वाली	33.183
बलवाडा	29. चिचला	10.000
	30. बिराली (भाग-1, भाग-2)	270.474
सनावद	31. बिजासन (भाग-1, भाग-2)	514.760

वर्ष 2013-14 के लिए चराई से बंद कूप

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	पातन श्रेणी	वर्किंग सर्कल (कार्य वृत्त)	कूप नं.	कक्ष क्र.	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	III	276	211.950
2.			सुरतीपुरा	III	279	153.900
3.			कडियाकुण्ड	III	285	115.800
4.			सुलगांव	III	259	99.450
5.			कुण्डी	III	219	175.780
6.			पलास्या	III	242	193.050
7.			माधवपुरा	III	252	140.620
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	III	134	151.420
9.			बडकीचौकी	III	76	97.210
10.			बलवाडा	III	101	124.200
11.			कालापाठा	III	127	119.920
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	III	152	155.820
13.			चैनपुरा	III	153	132.300
14.			ओखला	III	182	128.470
15.			कोदवार	III	188	201.080
16.			काटकूट	III	193	177.970
17.			बडेल	III	203	172.290
18.			मेंहदीखेडा	III	214	136.050
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	III	55	124.885
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	III	261	81.325
21.			मुरल्ला	III	147	150.750

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	III	103	77.400
23.			देवगढ	III	90	119.470
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	III	6	111.150
25.			गुठानिया	III	10	75.150
26.			काकडदा	III	20	120.800
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	III	32	110.630
28.			बेकल्या	III	42	110.370
29.			गोवर्धनपुरा	III	43	166.270
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	III	59	138.600
31.			प्रेमपुरा	III	70	134.100
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	III	315	92.890
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	III	299	72.201
34.			नलवट	III	310	150.006
35.			सनावद	III	288	135.330
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	IV	265	119.700
2.			सुरतीपुरा	IV	279	143.100
3.			कडियाकुण्ड	IV	283	76.950
4.			सुलगांव	IV	259	152.320
5.			कुण्डी	IV	232	98.550
6.			पलास्या	IV	241	168.750
7.			माधवपुरा	IV	253	94.250
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	IV	134	166.660
9.			बडकीचौकी	IV	76	113.620
10.			बलवाडा	IV	105	141.600
11.			कालापाठा	IV	109	130.720
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	IV	151	178.540
13.			चैनपुरा	IV	153	155.700
14.			ओखला	IV	173	181.120
15.			कोदवार	IV	188	167.470
16.			काटकुट	IV	193	197.330
17.			बडेल	IV	203	120.370
18.			मेंहदीखेडा	IV	251	93.120

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकडदा	IV	54	166.140
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	IV	267	78.525
21.			मुरल्ला	IV	144	149.200
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	IV	95	198.900
23.			देवगढ	IV	89	109.800
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	IV	5	100.840
25.			गुठानिया	IV	12	89.100
26.			काकडदा	IV	20	159.900
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	IV	32	93.150
28.			बेकल्या	IV	41	132.970
29.			गोवर्धनपुरा	IV	44	186.520
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	IV	61	127.350
31.			प्रेमपुरा	IV	69	216.560
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	IV	315	93.225
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	IV	301	110.350
34.			नलवट	IV	308	94.286
35.			सनावद	IV	289	140.215
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	V	272	104.210
2.			सुरतीपुरा	V	277	120.820
3.			कडियाकुण्ड	V	283	119.600
4.			सुलगांव	V	258	105.300
5.			कुण्डी	V	232	156.260
6.			पलास्या	V	241	181.120
7.			माधवपुरा	V	253	173.160
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	V	130	180.560
9.			बडकीचौकी	V	75	91.570
10.			बलवाडा	V	105	80.550
11.			कालापाठा	V	110	194.250
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	V	168	184.170
13.			चैनपुरा	V	154	179.790
14.			ओखला	V	173	202.500
15.			कोदवार	V	190	161.780

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
16.	काटकूट	सुधार पातन	काटकुट	V	194	160.650
17.			बडेल	V	205	207.530
18.			मेंहदीखेडा	V	215	131.710
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकडदा	V	49	137.020
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	V	261	96.625
21.			मुरल्ला	V	142	167.170
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	V	103	65.250
23.			देवगढ	V	90	103.060
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	V	4	101.700
25.			गुठानिया	V	16	88.650
26.			काकडदा	V	21	103.180
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	V	32	88.420
28.			बेकल्या	V	41	178.491
29.			गोवर्धनपुरा	V	45	132.300
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	V	56	95.850
31.			प्रेमपुरा	V	70	76.270
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	V	315	80.125
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	V	301	126.350
34.			नलवट	V	313	112.378
35.			सनावद	V	290	299.130
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VI	272	140.200
2.			सुरतीपुरा	VI	277	166.500
3.			कडियाकुण्ड	VI	283	211.810
4.			सुलगांव	VI	258	145.350
5.			कुण्डी	VI	277	63.030
6.			पलास्या	VI	244	128.250
7.			माधवपुरा	VI	251	144.680
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VI	137	177.300
9.			बडकीचौकी	VI	75	170.740
10.			बलवाडा	VI	98	123.150
11.			कालापाठा	VI	117, 118,119	179.710
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VI	169	195.220

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
13.	काटकूट	सुधार पातन	चैनपुरा	VI	159	113.400
14.			ओखला	VI	146	166.250
15.			कोदवार	VI	191	95.700
16.			काटकुट	VI	194	157.810
17.			बडेल	VI	207	137.210
18.			मेंहदीखेडा	VI	213	137.250
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकडदा	VI	48	101.920
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	VI	263	70.795
21.			मुरल्ला	VI	142	89.550
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	VI	96	94.055
23.			देवगढ	VI	92	91.570
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	VI	3	97.420
25.			गुठानिया	VI	16	91.820
26.			काकडदा	VI	21	97.420
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	VI	31	81.388
28.			बेकल्या	VI	39	144.406
29.			गोवर्धनपुरा	VI	43	97.090
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	VI	56	139.300
31.			प्रेमपुरा	VI	71	78.080
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	VI	324	113.040
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	VI	302	146.215
34.			नलवट	VI	312	110.450
35.			सनावद	VI	291	255.215
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VII	271	228.820
2.			सुरतीपुरा	VII	277	113.560
3.			कडियाकुण्ड	VII	223	180.000
4.			सुलगांव	VII	256	142.200
5.			कुण्डी	VII	224	111.150
6.			पलास्या	VII	244	111.370
7.			माधवपुरा	VII	251	136.570
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VII	131	197.900
9.			बडकीचौकी	VII	87	199.470

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
10.	बलवाड़ा	सुधार पातन	बलवाडा	VII	95	157.190
11.			कालापाठा	VII	125	140.800
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VII	166	153.790
13.			चैनपुरा	VII	160	130.720
14.			ओखला	VII	180	155.030
15.			कोदवार	VII	191	117.600
16.			काटकुट	VII	198	198.900
17.			बडेल	VII	207	157.950
18.			मेंहदीखेडा	VII	213	156.340
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकडदा	VII	48	168.054
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	VII	267	53.535
21.			मुरल्ला	VII	176	224.550
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	VII	96	70.875
23.			देवगढ	VII	89	79.830
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	VII	5	157.950
25.			गुठानिया	VII	15	40.950
26.			काकडदा	VII	18	128.580
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	VII	30	96.010
28.			बेकल्या	VII	40	126.370
29.			गोवर्धनपुरा	VII	53	176.090
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	VII	63	108.670
31.			प्रेमपुरा	VII	72	102.565
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	VII	325	59.000
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	VII	302	165.855
34.			नलवट	VII	312	115.383
35.			सनावद	VII	291	177.085
1.	बडवाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	VIII	268	115.850
2.			सुरतीपुरा	VIII	269	133.420
3.			कडियाकुण्ड	VIII	236	193.280
4.			सुलगांव	VIII	237	125.325
5.			कुण्डी	VIII	233	194.870
6.			पलास्या	VIII	254	190.300

1	2	3	4	5	6	7
						(हेक्टर में)
7.	बडवाह	सुधार पातन	माधवपुरा	VIII	252	148.500
8.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	VIII	132	216.460
9.			बडकीचौकी	VIII	62	152.850
10.			बलवाडा	VIII	102	157.110
11.			कालापाठा	VIII	124	114.280
12.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	VIII	167	138.750
13.			चैनपुरा	VIII	161	77.400
14.			ओखला	VIII	174	79.870
15.			कोदवार	VIII	212	148.820
16.			काटकुट	VIII	196	146.340
17.			बडेल	VIII	200	154.340
18.			मेंहदीखेडा	VIII	214	133.870
19.	काकड़दा	सुधार पातन	काकडदा	VIII	49	94.340
20.	बडवाह	पुनर्स्थापना	जयंतीमाता	IX	267	74.250
21.	काटकूट	पुनर्स्थापना	मुरल्ला	IX	178	147.820
22.	बलवाड़ा	पुनर्स्थापना	कालापाठा	IX	95	69.867
23.			देवगढ	IX	92	70.210
24.	काकड़दा	पुनर्स्थापना	गढी	IX	3	115.660
25.			गुठानिया	IX	15	82.450
26.			काकडदा	IX	18	130.770
27.	मण्डलेश्वर	पुनर्स्थापना	सालीपुरा	IX	35	98.800
28.			बेकल्या	IX	34	161.900
29.			गोवर्धनपुरा	IX	47	142.870
30.	पाडल्या	पुनर्स्थापना	बागदरा	IX	63	126.450
31.			प्रेमपुरा	IX	72	105.970
32.	सनावद	पुनर्स्थापना	बेडिया	IX	326	55.070
33.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	IX	303	258.150
34.			नलवट	IX	317	115.520
35.			सनावद	IX	292	205.970

डी. के. अग्रवाल,
वनमण्डलाधिकारी.

(564)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शिवपुरी

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	महात्मा फुले प्राथमिक ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, बैराड़, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी.	534/16-03-07	111/15-01-2013	श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(570)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गुरिच्छा.	433/03-12-98	110/15-01-2013	श्री विजय कुमार जैन सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(570-A)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अर्जुनगवां.	429/04-09-98	238/18-01-2013	श्री विजय कुमार जैन सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(570-B)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	अ. जा. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बीलारा.	476/17-03-03	233/18-01-2013	श्री व्ही. डी. अग्रवाल सहकारिता विस्तार अधिकारी.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(570-C)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	आदर्श खाद बीज भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी.	168/11-07-55	2405/11-12-2012	श्री व्ही. आर. डण्डौतिया वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(570-D)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	शिवपुरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, जिला शिवपुरी.	495/20-07-04	227/18-01-2013	श्री पी. सी. गुप्ता सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(570-E)

निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौका.	175/31-03-87	2446/11-12-2012	श्री पी. सी. गुप्ता सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(570-F)

शिवपुरी, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

क्र./परि./2013/1447.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	लक्ष्मी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, बांरा.	191/08-03-68	570/13-07-2010	श्री पी. बंसल सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(570-G)

शिवपुरी, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

क्र./परि./2013/1448.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	भारत सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, बम्हारी झिरन्या.	321/13-06-74	570/13-07-2010	श्री पी. बंसल सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(570-H)

शिवपुरी, दिनांक 20 सितम्बर, 2013

क्र./परि./2013/1449.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, छिरैंटा.	485/17-10-03	232/18-01-2013	श्री व्ही. डी. अग्रवाल सहकारिता विस्तार अधिकारी.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(570-I)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरिया विजय, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 07 जुलाई, 1993 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/515/परिसमापन/2013, दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरिया विजय, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री व्ही. के. खेरिया, सहकारी निरीक्षक, मंदसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(571)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिकनिया, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 763, दिनांक 14 जून, 1995 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/516/परिसमापन/2013, दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिकनिया, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, मंदसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(571-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., प्रतापपुरा, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 694, दिनांक 07 जुलाई, 1993 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/514/परिसमापन/2013, दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., प्रतापपुरा, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक, मंदसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(571-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रहीमगढ़, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 742, दिनांक 20 फरवरी, 1995 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/513/परिसमापन/2013, दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रहीमगढ़, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री राजेश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक, मंदसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(571-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमली, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 16 जून, 1994 है, को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/512/परिसमापन/2013, दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब नहीं देना चाहती तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमली, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री अनिल ओझा, सहकारी निरीक्षक, मंदसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(571-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील व जिला मंदसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 11 नवम्बर, 1986 है, को परिसमापन में लाये जाकर पंजीयन निरस्ती हेतु संस्था अध्यक्ष द्वारा पत्र से अवगत कराया गया है. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मंदसौर, तहसील व जिला मंदसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री विपिन बड़गौती, सहकारी निरीक्षक, मंदसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भारत सिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(571-E)

कार्यालय परिसमापक एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 2013

क्र./परि./2013/5181.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण विद्युत सहकारी संघ मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक/भोपाल/मुख्यालय/206, दिनांक 21 अगस्त, 1989 को आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, विंध्याचल भोपाल (मध्यप्रदेश) के आदेश क्रमांक/भूविअ/1/2012/421, भोपाल, दिनांक 06 अगस्त, 2012 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश किया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) में संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर को परिसमापक नियुक्त करते हुए परिसमापन की कार्यवाही निष्पादित करने के निर्देश दिये गये हैं.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत नियुक्त किये गये परिसमापक को संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों के निराकरण किये जाने हेतु सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूं. इस संस्था की लेनदारी एवं देनदारी यदि किसी व्यक्ति, संस्था या सहकारी संस्था की है तो मय साक्ष्य के अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सूचना-पत्र जारी होने के 2 माह की अवधि में प्रस्तुत करें अन्यथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव इस खंड के अधीन उसे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: मैं, श्रीकुमार जोशी, परिसमापक एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-2-2010-पंद्रह-1बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए सर्व-साधारण की जानकारी तथा लेनदारी एवं देनदारी के निराकरण के लिये आज दिनांक 06 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ.

श्रीकुमार जोशी,
परिसमापक एवं संयुक्त पंजीयक.

(572)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, अटेर, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं भिण्ड के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को धारा-70 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरपुरा	342/04-03-1985	627/07-05-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलारपुरा	513/16-03-1988	628/07-05-2013
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनेरा	365/29-03-1986	629/07-05-2013
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अहरौली घाट	556/23-04-1988	630/07-05-2013
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मसरी	656/04-05-1989	634/07-05-2013
6.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कनेरा	948/10-07-2006	658/07-05-2013
7.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सराया	928/30-12-2005	655/07-05-2013
8.	शंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौंकी	898/06-12-2004	640/07-05-2013
9.	जय दुर्गे माँ महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बिछौली	932/08-01-2006	656/07-05-2013
10.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुरपुरा	949/24-12-2008	663/07-05-2013
11.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., परा	758/14-08-1999	1020/07-04-2005
12.	सरयू शक्ति पुंज ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., बड़ापुरा	854/17-10-2002	217-14-02-2006
13.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मौघना	875/25-12-2003	577/04-03-2005

1	2	3	4
14.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सोई	457/09-04-1986	217/14-02-2006
15.	मौचियाइन उद्योग सह. संस्था मर्या., अटेर	170/28-10-1963	788/22-12-1978
16.	दाल चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मसूरी	8171/15-01-1966	927/31-03-1990
17.	चर्मकार चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खडीद	7985/26-10-1978	947/31-03-1990
18.	चर्मकार चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अटेर	7985/26-12-1978	946/31-03-1990
19.	राष्ट्रीय तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पुर	2430/23-07-1979	931/31-03-1990
20.	ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., परा	20/14-01-1966	1223/20-06-1991
21.	शिव शक्ति तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पाली पावई	419/21-01-1986	792/27-04-1995
22.	जय माँ भवानी चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., परा	728/16-06-1996	995/06-04-2005
23.	महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अटेर	115/24-08-2007	725/16-03-2005
24.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., बिहारी पुरा	231/16-07-1971	1228/20-06-1991
25.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., परा	227/30-04-7190	1222/20-06-1991

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षक स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी, के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

अशोक कुमार यादव,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(573)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित परिसमापन अधीन सहकारी संस्थाओं की धारा-70 अन्तर्गत मुझे आदेश क्रमांक परिसमापन/2013/183, भिण्ड, दिनांक 30 जनवरी, 2013 द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रौन	667/15-03-1991	1001/06-04-2005
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मछण्ड	671/25-04-1991	974//06-04-2005

1	2	3	4
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ररी	507/16-03-1988	1469/25-06-2009
4.	स्नेह नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., लहार	393/13-05-1996	1589/25-06-2009
5.	जे. पी. नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., लहार	425/30-09-1986	1048/05-06-2004
6.	शासकीय वेतन पाने वालों की साख सहकारी संस्था मर्या., लहार	313/10-10-1956	1407/25-07-1992
7.	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राथ. उपभो. सह. भण्डार मर्या., लहार	689/26-03-1992	1488/25-06-2009
8.	चंबल फल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., दवोह	708/13-02-1995	730/16-03-2005
9.	नार्देश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लहार	864/28-03-2003	564/09-03-2005
10.	फल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., आलमपुर	482/09-09-1987	1489/25-06-2005
11.	संत रबीदास हरिजन कामगार सहकारी संस्था मर्या., अजनार	659/30-10-1984	1453/25-06-2009

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दि. से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षक स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी, के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

आर. सी. परिहार,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(574)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, भालवा पं.क्र. 568, दिनांक 13 मार्च, 1997 विकासखण्ड किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/324, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, केशा पं.क्र. 570, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/325, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बोरगांव पं.क्र. 498, दिनांक 18 जनवरी, 1994 विकासखण्ड किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/257, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, परसवाड़ाघाट पं.क्र. 490, दिनांक 22 नवम्बर, 1993 विकासखण्ड कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/253, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटंगी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, साकड़ी पं.क्र. 658, दिनांक 31 मार्च, 2005 विकासखण्ड वारासिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/256, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, देवगाँव पं.क्र. 715, दिनांक 22 जनवरी, 2009 विकासखण्ड वारासिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/323, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कुम्हारी कला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, लांजी (कु. क.) पं.क्र. 668, दिनांक 27 सितम्बर, 2005 विकासखण्ड लाँजी, तहसील लाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/266, बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, आमगांव पं.क्र. 712, दिनांक 22 जनवरी, 2009 विकासखण्ड बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/317, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960

की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैहर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, भण्डेरी पं.क्र. 475, दिनांक 31 अक्टूबर, 1992 विकासखण्ड बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/322, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैहर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

बेरोजगार कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, सुन्दरवाही पं.क्र. 686, दिनांक 11 जनवरी, 2007 विकासखण्ड बिरसा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/326, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिरसा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, टिटवा पं.क्र. 635, दिनांक 13 मई, 2003 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/406, बालाघाट, दिनांक 08 अप्रैल, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. जन कल्याण साख सहकारी समिति मर्यादित, हट्टा पं. क्र. 672, दिनांक 01 फरवरी, 2006 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/327, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

बहु. उ. मा. विद्यालय सहकारी भण्डार मर्यादित, बालाघाट पं.क्र. 16, दिनांक 30 जून, 1962 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/316, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, कस्बीटोला पं.क्र. 694, दिनांक 29 जून, 2007 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील खैरलाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/321, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बेनी पं.क्र. 710, दिनांक 22 जनवरी, 2009 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील खैरलाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/320, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, टेकाडीघाट पं.क्र. 691, दिनांक 16 अप्रैल, 2007 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील खैरलाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/319, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सालेबर्डी पं.क्र. 689, दिनांक 16 अप्रैल, 2007 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील खैरलाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/318, बालाघाट, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(576-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, घुवडगोंदी पं.क्र. 590, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील खैरलाँजी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2013/255, बालाघाट, दिनांक 13 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-01-1999 पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश जारी करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जी. एस. डहरिया,
उप-रजिस्ट्रार.

(576-Q)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

सतना, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1060.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/602, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था सरस्वती महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., लटागांव, पंजीयन क्रमांक 604, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए सरस्वती महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, लटागांव, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 604, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577)

सतना, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1061.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/604, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा चांदिन महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., बदेरा, वि. खं. मैहर, पंजीयन क्रमांक 597, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चांदिन महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., बदेरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 597, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-A)

सतना, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1062.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/589, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., डेल्हा, वि. खं. मैहर, पंजीयन क्रमांक 612, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., डेल्हा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 612, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-B)

सतना, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1063.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/601, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., लटागांव, वि. खं. मैहर, पंजीयन क्रमांक 641, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., लटागांव, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 641, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-C)

सतना, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1064.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/614, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था कामधेनु महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., धनवाही, वि. खं. मैहर, पंजीयन क्रमांक 602, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री अजय गुप्ता, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कामधेनु महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., धनवाही, पंजीयन क्रमांक 602, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-D)

सतना, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1065.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/6143, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था कामधेनु महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., हिनौताकला, वि. खं. मैहर, पंजीयन क्रमांक 595, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री अजय गुप्ता, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कामधेनु महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., हिनौताकला, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 595, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-E)

सतना, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1066.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/615, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., हिनौती क्र. 1, वि. खं. रामनगर, पंजीयन क्रमांक 681, दिनांक 31 जनवरी, 2011 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री अजय गुप्ता, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, हिनौती क्र. 1, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 681, दिनांक 31 जनवरी, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-F)

सतना, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1067.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/585, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था सुनन्दिनी महिला दुग्ध उत्पा. सह.

समिति मर्या., बेरमा, वि. खं. मैहर, पंजीयन क्रमांक 691, दिनांक 31 मार्च, 2011 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश अग्रवाल, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुनन्दिनी महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बेरमा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 691, दिनांक 31 मार्च, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-G)

सतना, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1068.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/587, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था माहेश्वरी महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., हरदासपुर, पंजीयन क्रमांक 620, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश अग्रवाल, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए माहेश्वरी महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, हरदासपुर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 620, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-H)

सतना, दिनांक 31 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1069.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/603, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., मौदहा, वि. खं. मैहर, पंजीयन क्रमांक 656, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, मौदहा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 656, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-I)

सतना, दिनांक 17 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1144.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/582, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था राधा स्वामी महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., कुसेड़ी, पंजीयन क्रमांक 605, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राधा स्वामी महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., कुसेड़ी, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 605, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-J)

सतना, दिनांक 17 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1145.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/593, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 द्वारा संस्था खेरमाई महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., धुनवारा, पंजीयन क्रमांक 593, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी,उप-अंकेक्षक. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए खेरमाई महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., धुनवारा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 593, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-K)

सतना, दिनांक 17 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1146.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/580, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था माँ शारदा महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., धतूरा, पंजीयन क्रमांक 608, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए माँ शारदा महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., धतूरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 608, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-L)

सतना, दिनांक 17 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1147.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/581, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था राधा स्वामी महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., इटमा, पंजीयन क्रमांक 599, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राधा स्वामी महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., इटमा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 599, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/591, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., बरही, वि. खं. मैहर, पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., बरही, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. के. पाण्डेय,

(577-N) उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1222.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./201, रतलाम, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा मिलेनियम लैम्प्स निर्माण उद्योग सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, पंजीयन क्रमांक/755, दिनांक 12 सितम्बर, 2000 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. नान्देचा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिलेनियम लैम्प्स निर्माण उद्योग सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, पंजीयन क्रमांक/755, दिनांक 12 सितम्बर, 2000 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./990, रतलाम, दिनांक 29 जुलाई, 2010 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, नामली, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/358, दिनांक 31 अक्टूबर, 1984 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, नामली, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/358, दिनांक 31 अक्टूबर, 1984 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-A)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1225.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./990, रतलाम, दिनांक 29 जुलाई, 2010 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, बरबोदना, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/525, दिनांक 24 अक्टूबर, 1989 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, बरबोदना, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/525, दिनांक 24 अक्टूबर, 1989 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-B)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1226.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1049, रतलाम, दिनांक 26 जुलाई, 2010 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, रियावन, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/432, दिनांक 06 जून, 1987 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. नान्देचा,

सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, रियावन, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/432, दिनांक 06 जून, 1987 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-C)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1227.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1049, रतलाम, दिनांक 26 जुलाई, 2013 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, पंचेड, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/409, दिनांक 20 अक्टूबर, 1986 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. नान्देचा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, पंचेड, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/409, दिनांक 20 अक्टूबर, 1986 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-D)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1228.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./650, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी सोसायटी मर्यादित, बडीनाल, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/827, दिनांक 20 जून, 2005 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी सोसायटी मर्यादित, बडीनाल, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/827, दिनांक 20 जून, 2005 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-E)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1229.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./652, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी सोसायटी मर्यादित, नवाबगंज, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/212, दिनांक 20 जून, 2005 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी सोसायटी मर्यादित, नवाबगंज, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/212, दिनांक 20 जून, 2005 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-F)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1230.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./205, रतलाम, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा तेल उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, धामनोद, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/1, दिनांक 27 जनवरी, 1959 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेल उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, धामनोद, पंजीयन क्रमांक/1, दिनांक 27 जनवरी, 1959 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-G)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1231.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./205, रतलाम, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा तेली समाज तेल उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, पिपलोदा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/38, दिनांक 14 नवम्बर, 1960 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेली समाज तेल उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, पिपलोदा, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/38, दिनांक 14 नवम्बर, 1960 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-H)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1232.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./779, रतलाम, दिनांक 24 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, माऊखेड़ी, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/276, दिनांक 08 फरवरी, 1982 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, माऊखेड़ी, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/276, दिनांक 08 फरवरी, 1982 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-I)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1233.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./809, रतलाम, दिनांक 07 जून, 2007 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, शक्करखेड़ी, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/822, दिनांक 25 मई, 2005 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री बी. एस. चौहान, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, उज्जैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, शक्करखेड़ी, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/822, दिनांक 25 मई, 2005 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-J)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1234.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./204, रतलाम, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा सुतारी-लुहारी उद्योग सहकारी सोसायटी मर्यादित, निपानियालीला, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/521, दिनांक 07 अगस्त, 1978 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुतारी-लुहारी उद्योग सहकारी सोसायटी मर्यादित, निपानियालीला, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/521, दिनांक 07 अगस्त, 1978 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-K)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1235.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1196, रतलाम, दिनांक 28 अगस्त, 2008 के द्वारा आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, पंजीयन क्रमांक/5, दिनांक 19 फरवरी, 2002 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, पंजीयन क्रमांक/5, दिनांक 19 फरवरी, 2002 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-L)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1236.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./200, रतलाम, दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा सिंचाई सहकारी सोसायटी मर्यादित, रामपुरिया, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/98, दिनांक 05 नवम्बर, 1995 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंचाई सहकारी सोसायटी मर्यादित, रामपुरिया, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/98, दिनांक 05 नवम्बर, 1995 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-M)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1237.—श्री जैन कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/972, रतलाम, दिनांक 06 जुलाई, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था.

सोसायटी के संबंध में सोसायटी के अध्यक्ष एवं एडवोकेट श्री पी. एम. भर्गट, 70, जैन कॉलोनी, रतलाम द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2013 को आवेदन प्रस्तुत कर परिसमापन के लिए जारी पैरा (1) के कारण बताओ सूचना-पत्र को अवैधानिक उल्लेखित करते हुए सूचना-पत्र को निरस्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया. संस्था अध्यक्ष द्वारा अपने आवेदन के संबंध में न तो कोई अभिलेख प्रस्तुत किये गये और ना ही अवैधानिकता को स्पष्ट किया गया. अत: सोसायटी अध्यक्ष को उनके आवेदन दिनांक 25 जुलाई, 2013 पर सुने जाने हेतु पुन: युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सूचना पत्र क्रमांक/1132, दिनांक 24 अगस्त, 2013 जारी किया गया. संस्था अध्यक्ष द्वारा उक्त पत्र कार्यालय के पत्रवाहक भृत्य द्वारा तामील कराये जाते समय अध्यक्ष द्वारा पत्र पढ़ने के बाद पत्र लेने से इन्कार कर दिया.

संस्था अध्यक्ष को उपर्युक्तानुसार कारण बताओ सूचना-पत्र एवं तत्पश्चात् आपत्ति पर सुने जाने हेतु सूचना-पत्र प्रेषित किये जाने के बावजूद अध्यक्ष द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बंध में अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील हो गई है एवं संस्था द्वारा अपने पंजीकृत उपविधियों के अनुसार सदस्यों को सेवाएं देना बन्द कर दिया गया है. अत: सोसायटी को परिसमापन में लाया जाकर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जैन कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. के. नान्देचा, सहकारी निरीक्षक, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(578-N)

रतलाम, दिनांक 26 सितम्बर, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1238.—पद्श्री औषधि निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/1133, रतलाम, दिनांक 24 अगस्त, 2013 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर प्रदान किया गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र तामिली हेतु प्रेषित किये जाने पर सोसायटी का पता अपूर्ण एवं सोसायटी के किसी भी पदाधिकारी का पता ज्ञात नहीं होने के कारण सोसायटी को उक्त सूचना-पत्र तामिल नहीं कराया जा सका. सहायक आयुक्त (अंके.) द्वारा भी अपने प्रतिवेदन दिनांक 03 जुलाई, 2013 में उल्लेख किया गया है कि उन्हें न तो सोसायटी के पंजीयन की फाईल मिली है और ना ही सोसायटी के सदस्य के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध हो रही है. इस प्रकार सोसायटी ज्ञात नहीं है एवं निष्क्रिय होना प्रमाणित होता है. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सोसायटी अक्रियाशील होकर अपने सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है. अत: उपर्युक्त कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्श्री औषधि निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम (मध्यप्रदेश) को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. के. नान्देचा, सहकारी निरीक्षक, रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(578-O)

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला कटनी

कटनी, दिनांक 30 मार्च, 2013

आदर्श दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., इमलाज, पं. क्र. 551, दिनांक.....को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन 1114, जबलपुर, दिनांक 16 अप्रैल, 1991 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, रजनीश मिश्र, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था आदर्श दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., इमलाज, पं. क्र. 551, दिनांक.....का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579)

क्षे. बेरोजगार कामगार सह. समिति मर्या., वि. गढ़, पं. क्र. 1781, दिनांक 17 जुलाई, 1998 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन.....,दिनांक .....से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, रजनीश मिश्र, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था क्षे. बेरोजगार कामगार सह. समिति मर्या., वि. गढ़, पं. क्र. 1814, दिनांक 24 अप्रैल, 1999 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-A)

कर्मवीर खनिज उत्खनन सह. समिति मर्या., नन्हवारा, पं. क्र. 1699, दिनांक.....को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन 1347, दिनांक 09 नवम्बर, 2000 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, रजनीश मिश्र, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की

शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था कर्मवीर खनिज उत्खनन सह. समिति मर्या., नन्हवारा, पं. क्र. 1699, दिनांक.....का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-B)

सुफला उद्यानिकी सह. समिति मर्या., पिपरियाकला, पं. क्र. 22, दिनांक 04 जून, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन 34, दिनांक 15 जनवरी, 2009 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, रजनीश मिश्र, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था सुफला उद्यानिकी सह. समिति मर्या., पिपरियाकला, पं. क्र. 22, दिनांक 04 जून, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-C)

कटनी, दिनांक 12 अगस्त, 2013

गाँधी लाइम स्टोन गिट्टी मुरम क्रेशर औद्योगिक सह. समिति मर्या., कुटेश्वर, पं. क्र. 1799, दिनांक 30 जनवरी, 1999 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन 600, दिनांक 31 अगस्त, 2009 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, रजनीश मिश्र, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था गाँधी लाइम स्टोन गिट्टी मुरम क्रेशर औद्योगिक सह. समिति मर्या., कुटेश्वर, पं. कं. 1799, दिनांक 30 जनवरी, 1999 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 12 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-D)

कटनी, दिनांक 12 अगस्त, 2013

आदिवासी महिला कामगार रेत बजरी उत्खनन सह. समिति मर्या., चपना, पं. क्र. 1814, दिनांक 24 अप्रैल, 1999 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन 728, दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, रजनीश मिश्र, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था आदिवासी महिला कामगार रेत बजरी उत्खनन सह. समिति मर्या., चपना, पं. क्र. 1814, दिनांक 24 अप्रैल, 1999 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 12 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-E)

कटनी, दिनांक 12 अगस्त, 2013

माल्हन मछुआ सह. समिति मर्या., भगनवारा, पं. क्र. 36, दिनांक 18 नवम्बर, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/37, दिनांक 15 जनवरी, 2009 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, रजनीश मिश्र, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था माल्हन मछुआ सह. समिति मर्या., भगनवारा, पं. क्र.. 36, दिनांक 18 नवम्बर, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 12 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-F)

महिला बहु. उद्दे. सह. समिति मर्या., बरही, पं. क्र.. 27, दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन 601, दिनांक 31 अगस्त, 2009 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, रजनीश मिश्र, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था महिला बहु. उद्दे. सह. समिति मर्या., बरही, पं. क्र. 27, दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

रजनीश मिश्र,
सहायक पंजीयक.

(579-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3219.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर साख सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1181, दिनांक 27 जुलाई, 1979 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा को प्रतिवेदन

अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1181, दिनांक 27 जुलाई, 1979 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3221.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि न्यू रेल्वे गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1186 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा को प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा न्यू रेल्वे गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1186 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री महेश सिंघल, पर्यवेक्षक, मध्यप्रदेश आवास संघ, इन्दौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-A)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3222.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि दादाजी क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1770, दिनांक 12 जुलाई, 2000 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार

पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा को प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा दादाजी क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1770, दिनांक 12 जुलाई, 2000 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-B)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3222.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि लक्ष्मी महिला आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, टाकलखेडा, पंजीयन क्रमांक 1968, दिनांक 03 सितम्बर, 2006 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा को प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा लक्ष्मी महिला आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, टाकलखेडा, पंजीयन क्रमांक 1968, दिनांक 03 सितम्बर, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-C)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3223.—जनचेतना यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1563, दिनांक 23 जनवरी, 1995 का बहिर्गमी संचालक मण्डल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस प्रकार संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जनचेतना यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1563, दिनांक 23 जनवरी, 1995 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-D)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3224.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि रेणुका माता बीज क्रय-विक्रय विपणन सहकारी समिति मर्यादित, टाकलखेडा, पंजीयन क्रमांक 2070, दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा रेणुका माता बीज क्रय-विक्रय विपणन सहकारी समिति मर्यादित, टाकलखेडा, पंजीयन क्रमांक 2070, दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-E)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3225.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि शासकीय महाविद्यालय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा को प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. संस्था द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा शासकीय महाविद्यालय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580- F)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3226.—प्रियदर्शनी वेयरहाउसिंग एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1861, दिनांक 09 जुलाई, 2002 का बहिर्गामी संचालक मण्डल अधिनियम की धारा-49 (8) (2) के प्रावधान अनुसार संस्था के संचालक मंडल के नवीन निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/10/435, दिनांक 15 फरवरी, 2011 के द्वारा संस्था के संचालक मंडल के स्थान पर धारा-49 (8) के अंतर्गत श्री एम. एल. सितलानी, उप-अंकेक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संस्था प्रभारी अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि संस्था के सदस्य संस्था के संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन भी नहीं कराना चाहते. इस संबंध में संस्था के अध्यक्ष द्वारा भी लिखित में प्रभारी अधिकारी को सूचित किया गया है. उक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत इस कार्यालय द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/3014, खण्डवा, दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया.

निर्धारित अवधि में संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा प्रियदर्शनी वेयरहाउसिंग एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1861, दिनांक 09 जुलाई, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री रमेशलाल मंगवानी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-G)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3227.—भगत कंवरराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1190, दिनांक 08 नवम्बर, 1979 का बहिर्गमी संचालक मण्डल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस प्रकार संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भगत कंवरराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1190,

दिनांक 08 नवम्बर, 1979 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री महेश सिंघल, पर्यवेक्षक, मध्यप्रदेश आवास संघ, इन्दौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-H)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3228.—नवीन आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1191, दिनांक 09 नवम्बर, 1979 का बहिर्गमी संचालक मण्डल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. अत: निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस प्रकार संस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नवीन आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1191, दिनांक 09 नवम्बर, 1979 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री आर. के. ओझा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-I)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/3211.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/162,दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा सरस्वती बीज उत्पादक क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2027, दिनांक 27 जून, 2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे किन्तु संस्था के द्वारा खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया. पुन: कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/1080, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया कि रबी 2013-14 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे. किन्तु संस्था के द्वारा उक्त दोनों निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सरस्वती बीज उत्पादक क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2027, दिनांक 27 जून, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-J)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/3212.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/162,दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा कावेरी बीज उत्पादक क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, सिरपुर, पंजीयन क्रमांक 2080, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे किन्तु संस्था के द्वारा खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया. पुन: कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/1080, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया कि रबी 2013-14 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे. किन्तु संस्था के द्वारा उक्त दोनों निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कावेरी बीज उत्पादक क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, सिरपुर, पंजीयन क्रमांक 2080, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-K)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/3213.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/162,दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा शिवशक्ति बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, पाडल्या, पंजीयन क्रमांक 2045, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे किन्तु संस्था के द्वारा खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/1080, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया कि रबी 2013-14 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे. किन्तु संस्था के द्वारा उक्त दोनों निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा शिवशक्ति बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, पाडल्या, पंजीयन क्रमांक 2045, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-L)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/3214.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/162,दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, बलवाडा, पंजीयन क्रमांक 2047, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे किन्तु संस्था के द्वारा खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/1080, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया कि रबी 2013-14 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे. किन्तु संस्था के द्वारा उक्त दोनों निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, बलवाडा, पंजीयन क्रमांक 2047, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-M)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/3215.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/162,दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा जय योगेश्वर बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, भगवानपुरा, पंजीयन क्रमांक 2049, दिनांक 27 जून, 2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे किन्तु संस्था के द्वारा खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया. पुन: कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/1080, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया कि रबी 2013-14 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे. किन्तु संस्था के द्वारा उक्त दोनों निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जय योगेश्वर बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, भगवानपुरा, पंजीयन क्रमांक 2049, दिनांक 27 जून, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-N)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/3216.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/162,दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा मिराया बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, खिडगांव, पंजीयन क्रमांक 2167, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे किन्तु संस्था के द्वारा खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/1080, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया कि रबी 2013-14 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे. किन्तु संस्था के द्वारा उक्त दोनों निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मिराया बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, खिडगांव, पंजीयन क्रमांक 2167, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-O)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/3217.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/162,दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा मुकुन्द बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, छैगांवमाखन, पंजीयन क्रमांक 2158, दिनांक 24 फरवरी, 2011 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे किन्तु संस्था के द्वारा खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/1080, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया कि रबी 2013-14 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे. किन्तु संस्था के द्वारा उक्त दोनों निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मुकुन्द बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, छैगांवमाखन, पंजीयन क्रमांक 2158, दिनांक 24 फरवरी, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-P)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/3218.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/162,दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा श्री गणेश बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, निशानिया, पंजीयन क्रमांक 2168, दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे किन्तु संस्था के द्वारा खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया. पुन: कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/1080, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया कि रबी 2013-14 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे. किन्तु संस्था के द्वारा उक्त दोनों निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री गणेश बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, निशानिया, पंजीयन क्रमांक 2168, दिनांक 01 नवम्बर, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-Q)

खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/3220.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/162,दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा किसान बीज उत्पादक क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बडगांवमाली, पंजीयन क्रमांक 1974, दिनांक 27 सितम्बर, 2006 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे किन्तु संस्था के द्वारा खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया. पुन: कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/1080, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया कि रबी 2013-14 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे. किन्तु संस्था के द्वारा उक्त दोनों निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा किसान बीज उत्पादक क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बडगांवमाली, पंजीयन क्रमांक 1974, दिनांक 27 सितम्बर, 2006 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आदेश आज दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-R)

खण्डवा, दिनांक 27 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3245.—कृषिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1430, दिनांक 12 जनवरी, 1990 के द्वारा अपनी उपविधि क्रमांक 5 (अ) (1) में संशोधन हेतु प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था. चूंकि संस्था मूलत: कृषि महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए गठित की गई थी, अत: महाविद्यालयीन अधिकारी/कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को सदस्य बनाने संबंधी संशोधन होने से संशोधन प्रस्ताव आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित किया गया. मुख्यालय द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई जो संस्था से प्राप्त कर मुख्यालय प्रेषित की गई. उक्त जानकारियों के अनुसार संस्था के पंजीयन के समय कुल 28 सदस्य थे तथा संस्था में पंजीयन के बाद संस्था में कोई नये सदस्य नहीं बनाये गये हैं. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, खण्डवा के द्वारा संस्था अंकेक्षक (ऑडिटर) को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार संस्था के 28 सदस्यों में से मात्र 03 सदस्य श्री राजेश ईश्वरसिंह सिसौदिय, श्री अशोक कुमार शर्मा एवं श्री प्रभाकर दामोदर मोघे ही वर्तमान में महाविद्यालय में कार्यरत हैं, शेष 25 सदस्य या तो सेवानिवृत्त हो गये हैं अथवा उनका अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है.

संस्था जिन सदस्यों की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु गठित की गई थी, उन सदस्यों के कार्यक्षेत्र में निवासरत नहीं रह जाने से संस्था का उद्देश्य ही समाप्त होने तथा संस्था के विगत वर्षों की अंकेक्षण टीपों से संस्था लगातार अकार्यशील होने से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/

2013/2045, दिनांक 31 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्न बिंदुओं पर जवाब चाहा गया था.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

कारण बताओ सूचना-पत्र की संस्था को विधिवत् तामीली की गई. संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया. संस्था अध्यक्ष द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है तथा केवल 03 सदस्यों के कार्यक्षेत्र में निवास करने के बावजूद संस्था को जीवित रखे जाने का निवेदन किया है. चूंकि संस्था के द्वारा महाविद्यालय के बाहर के व्यक्तियों को भी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था किन्तु मुख्यालय से उक्त संबंध में कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुये. अतः केवल 03 सदस्यों के कार्यक्षेत्र में निवासरत होने से संस्था के शेष सदस्यों के संबंध में स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा संस्था उद्देश्यों के अनुरूप संस्था के कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था अध्यक्ष का जवाब संतोषप्रद नहीं होने से संस्था के हित में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कृषिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1430, दिनांक 12 जनवरी, 1990 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री अनिल अत्रे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-S)

खण्डवा, दिनांक 29 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3246.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि सुयश ग्रामीण भंडारण सहकारी संस्था मर्यादित, खालवा, पंजीयन क्रमांक 1865, दिनांक 19 अगस्त, 2002 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के सदस्य संस्था के प्रति निष्क्रिय हैं तथा सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा को प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. संस्था के द्वारा तामिली के बावजूद निर्धारित समय अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है, इस प्रकार संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सुयश ग्रामीण भंडारण सहकारी संस्था मर्यादित, खालवा, पंजीयन क्रमांक 1865, दिनांक 19 अगस्त, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री रमेशलाल मंगवानी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

(580-T)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	वर्धमान गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	डी.आर.बी. 170/31-03-1980	1696/28-06-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक 11 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

लता गिल,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(554)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक.
1.	बनवासी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,	530/04-03-1987	1693/28-06-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिये लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक 11 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

राजन वीजे,
परिसमापक.

(555)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2013-कार्तिक 03, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 03 जुलाई, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना, जौरा, केलारस (मुरैना), मल्हारगढ़, मन्दसौर, धुन्धडका (मंदसौर), मो. बड़ोदिया, सुसनेर, नलखेड़ा, आगर, बड़ोद, शाजापुर (शाजापुर), थांदला, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर, सोण्डवा, कट्टीवाडा, च.शेखर, आ. नगर, बड़वानी, पानसेमल, पाटी (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, घाटीगांव (ग्वालियर), शामगढ़ (मंदसौर), कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), मेघनगर, पेटलावद (झाबुआ), कुक्षी (धार), राजपुर, निवाली (बड़वानी), नेपानगर (बुरहानपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा (मुरैना), विजयपुर (श्योपुर), शिवपुरी, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), बुढ़ार, (शहडोल), जेतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), रामपुरनैकिन (सीधी), सुबासराटप्पा, गरोठ, सीतामऊ, संजीत (मंदसौर), खाचरौद (उज्जैन), शुजालपुर (शाजापुर), बदनावर, गंधवानी (धार), सेंधवा (बड़वानी), केवलारी (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील सबलगढ़ (मुरैना), श्योपुर, कराहल (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगाँव, लहार, मिहोना (भिण्ड), डबरा, भितरवार (ग्वालियर),सेवढ़ा, दतिया, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, कोलारस (शिवपुरी), अशोकनगर, मुंगावली, ईसागढ़ (अशोकनगर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), छतरपुर, बिजावर, गौरीहार (छतरपुर), खुरई (सागर), त्योंथर, सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, हजूर, गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिंहनगर, जैतपुर, गोहपारू (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास, सिहावल, मझौली, कुसमी, चुरहट (सीधी), भानपुरा (मंदसौर), महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), सरदारपुर, धार, मनावर, धरमपुरी, डही (धार), ठीकरी (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), लटेरी, सिंरोज, नटेरन, ग्यारसपुर (विदिशा), हुजूर (भोपाल), रायसेन, बेगमगंज, गौहरगंज, बरेली, बाडी (रायसेन), भैसदेही, घोड़ाडोगरी, शाहपुर, चिचौली, बैतूल, मुलताई, आढनेर, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, मझौली, जबलपुर, कुन्डम (जबलपुर), विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही, बड़वारा (कटनी), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, हर्रई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, घंसौर, धनौरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, कटंगी (बालाघाट), में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील भाण्डेर (दतिया), चंदेरी (अशोकनगर), लौण्डी, नौगांव, राजनगर, बड़ामल्हरा, बकस्वाहा (छतरपुर), बीना, बण्डा, गढ़ाकोटा, शाहगढ़, मालथोन (सागर), हटा, बटियागढ़, दमोह, पथरिया, जवेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), कुरवाई, बासौदा (विदिशा), आष्टा, नसरुल्लागंज, बुधनी (सीहोर), गैरतगंज, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), रीठी, कटनी (कटनी), जामई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(इ) 245.1 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील सागर, रहली, देवरी, राहतगढ़, केसली (सागर), बैरसिया (भोपाल), सीहोर, इछावर (सीहोर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी, विदिशा, सीहोर, बैतूल, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा में जुताई एवं रीवा, अनूपपुर, सिंगरौली, होशंगाबाद, डिण्डोरी, सिवनी में जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला अनूपपुर में फसल मक्का, कोदों व डिण्डोरी में कोदों-कुटकी व सिंगरौली में मक्का,सांवा, उड़द, कोदों, तुअर व मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, विदिशा, सीहोर, बैतूल, कटनी व इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल, अनूपपुर, झाबुआ, बड़वानी, बैतूल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 03 जुलाई, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	46.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	35.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	16.0				
4. जौरा	5.0				
5. सबलगढ़	67.0				
6. कैलारस	10.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	105.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	183.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	40.0				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	163.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	210.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	100.0				
4. मेहगांव	85.7				
5. लहार	142.7				
6. मिहोना	167.0				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	21.9		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	100.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	103.2				
4. घाटीगांव	22.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	143.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	163.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	262.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	36.0		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	173.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	222.0				
4. नरवर	75.0				
5. करैरा	94.0				
6. कोलारस	75.0				
7. पोहरी	41.0				
8. बदरवास	49.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	144.0		4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	69.0		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	121.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	375.0				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राधौगढ़	. .		(2) . .	. .	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
7. मकसूदनगढ़	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	171.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	204.0		सोयाबीन, तिल, मूंगफली, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	120.0		(2) . .		
4. टीकमगढ़	206.0				
5. बल्देवगढ़	75.0				
6. पलेरा	223.0				
6. ओरछा	202.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	317.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	240.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	262.3				
4. छतरपुर	225.1				
5. राजनगर	261.5				
6. बिजावर	170.2				
7. बड़ामलहरा	313.0				
8. बकस्वाहा	283.0				
***जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	441.2	चालू है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	241.2		उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	376.0		सोयाबीन समान.		
4. सागर	507.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	510.6				
6. देवरी	637.4				
7. गढ़ाकोटा	436.6				
8. राहतगढ़	520.0				
9. केसली	484.1				
10. शाहगढ़	295.0				
11. मालथोन	395.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	316.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	279.0				
3. दमोह	352.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पथरिया	269.0				
5. जवेरा	355.0				
6. तेन्दूखेड़ा	366.4				
7. पटेरा	374.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..		4. (1) सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	161.0		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	209.0				
3. सेमरिया	..		(2) ..		
4. मऊगंज	156.0				
5. मनगवां	..				
6. हनुमना	192.3				
7. हजूर	123.2				
3. गुढ़	168.0				
9.रायपुरकर्चुलियान	104.0				
10. जवा	..				
11. नईगढ़ी	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	65.2		4. (1) मक्का, धान, उड़द, अरहर, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	170.3				
3. जैसिंहनगर	100.0		(2) ..		
4. जैतपुर	113.0				
5. बुढार	50.8				
6. गोहपारू	73.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मक्का, धान कोदो, की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	47.0		4. (1) मक्का, धान, कोदों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	57.5		(2) ..		
3. कोतमा	97.4				
4. पुष्पराजगढ़	47.2				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	114.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	74.0		(2) ..		
3. मानपुर	107.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	190.0	चालू है.	4. (1) मक्का, ज्वार, धान, कोदो कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. सिंहावल	85.2		तिल, तुअर, मूंग, उड़द, कम	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	200.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	149.0				
5. चुरहट	127.5				
6. रामपुरनैकिन	39.3				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी मक्का	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .	सांवा, धान, उड़द, तुअर,	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .	कोदो की बोनी का कार्य	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .	चालू है.			
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	48.9		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	97.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	7.0				
4. गरोठ	47.6				
5. मन्दसौर	13.0				
6. सीतामऊ	36.8				
7. धुन्धड़का	15.0				
8. शामगढ़	22.0				
9. संजीत	38.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	36.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	113.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	61.0				
4. घटिया	75.0				
5. उज्जैन	63.0				
6. बड़नगर	64.6				
7. नागदा	61.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	8.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	7.2				
4. आगर	6.0				
5. बड़ौद	2.0				
6. शाजापुर	6.0				
7. शुजालपुर	38.0				
8. कालापीपल	27.0				
9. गुलाना	22.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ ,चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		जौ अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	11.0		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	31.0		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	23.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. झाबुआ	7.0				
5. राणापुर	4.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	12.7		4.(1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. सोण्डवा	11.2		सोयाबीन, उड़द, कपास अधिक.	. .	
3. अलीराजपुर	17.0		(2) . .		
4. कठ्ठीवाड़ा	10.6				
5. चन्द्रशेखर-आजाद नगर	7.3				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	39.2		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	74.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	54.0				
4. कुक्षी	24.1				
5. मनावर	93.0				
6. धरमपुरी	60.0				
7. गंधवानी	40.0				
8. डही	110.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
***जिला प. निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वाह	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सनावद	. .		(2) . .		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	12.2		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	65.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	18.0				
4. सेंधवा	45.0				
5. पानसेमल	9.0				
6. पाटी	13.0				
7. निवाली	21.0				
8. अंजड	. .				
9. वरला	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	10.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	62.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	25.7				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	148.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	109.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	382.8				
4. बासौदा	340.8				
5. नटेरन	191.0				
6. विदिशा	164.2				
7. ग्यारसपुर	270.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	530.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का, मूँगफली, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	220.9		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	525.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	273.0		(2) . .	. .	
3. इछावर	507.0				
4. नसरुल्लागंज	397.0				
5. बुधनी	379.0				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	120.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन, मूँगफली, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	386.2				
3. बेगमगंज	233.8				
4. गोहरगंज	156.0		(2) . .		
5. बरेली	167.0				
6. सिलवानी	323.5				
7. उदयपुरा	283.0				
8. बाड़ी	198.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	66.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	76.3		(2) . .		
3. शाहपुर	77.8				
4. चिचोली	76.8				
5. बैतूल	68.0				
6. मुलताई	90.0				
7. आठनेर	63.5				
8. आमला	193.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	101.0		4. (1) मूँग-मोंठ सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	147.3		(2) . .		
3. बाबई	108.0				
4. इटारसी	170.2				
5. सोहागपुर	195.0				
6. पिपरिया	280.6				
7. वनखेड़ी	312.5				
8. पचमढ़ी	297.6				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोरा	82.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	151.4		(2) . .		
3. मझौली	160.7				
4. जबलपुर	149.1				
4. कुण्डम	92.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	262.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	296.0		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	137.7				
4. बहोरीबंद	116.2				
5. ढीमरखेड़ा	104.0				
6. बरही	122.0				
7. बड़वारा	101.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	127.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	133.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	69.5				
4. मण्डला	174.2				
5. घुघरी	126.5				
6. नारायणगंज	179.1				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई व कोदों-कुटकी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	128.1		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	185.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	183.6				
4. जामई (तामिया)	267.9				
5. सोंसर	64.4				
6. पांढुर्णा	53.6				
7. अमरवाड़ा	117.0				
8. चौरई	130.2				
9. बिछुआ	98.2				
10. मोहखेड़ा	130.8				
11. हर्रई	132.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	59.4		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	48.0				
3. लखनादौन	80.0				
4. बरघाट	85.8		(2) . .		
5. कुरई	85.0				
6. घंसौर	137.0				
7. धनोरा	158.5				
8. छपारा	67.9				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	94.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	116.0				
4. वारासिवनी	70.9				
5. कटंगी	133.0				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, पन्ना, रतलाम, प. निमाड़, राजगढ़, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(557)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.